


267

391

न्यायालय श्री मानू राजूव मडल ग्वा लियर सर्किट कोर्ट रीवा म प्र.  
R 2168-1712



ज्ञान वैभ्र सिंह तन्य डा० भूनेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी राणा प्रतप  
मार्ग सीधी जिला सीधी म प्र. बल निवासी ग्राम गुजरा तक्षील अमरपाटन  
जिला सतना म प्र.

R-2168-1712

आवेदक/ निगरानी कर्ता

व नाम

- 1:- धीरेन्द्र सिंह तन्य श्री गुंगा सिंह तिवारी उम्र 33 वर्ष पेशा कृषि निवासी पी. के. स्कूल के पीछे एच. आई. जी. 69 वार्ड नं. 16, रीवा जिला रीवा म प्र.
- 2:- श्री सुरेन्द्र सिंह तन्य श्री गुंगा सिंह तिवारी उम्र 34 साल निवासी ग्राम म्ही पो० उकुन्वपुर तक्षील अमरपाटन, जिला सतना ₹ 10 प्र०
- 3:- तक्षीलदार तक्षील अमरपाटन जिला सतना म प्र.

9-7-12

अनावेदक/ गैर निगरानी कर्ता

अधिवक्ता श्री प्रमोद पांडे  
द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दिनांक 28-6-2012

निगरानी विरुद्ध ग्राम झिन्ना पटवारी हल्का क्र. 42 झिन्ना. रा. नि. कुं. तला द्वारा - ग्राम झिन्ना तक्षील अमरपाटन जिला सतना की भूमि खतरा क्रम नं. 125 खंड 135 के बल नम्बरोंन के नक्शा तर्मािम कार्यवाही.

28-6-12

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म प्र. भू-राजस्व संहिता सत्र 1959 ईसवी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय / कर्मचारियों द्वारा की गई नक्शा तर्मािम का कार्यवाही विधि व प्रक्रिया के विपरीत एवं विकृत दस्तावेजों के बिना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

AT

Asil

267

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R- 2168 -27/12..... जिला सतना

..... दान वैभव सिंह विरुद्ध श्री. वि. सिंह वर्मा .....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अजय प्रो. डे. रा.</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>ताला</u> तहसील <u>अप्रयारन</u> के प्रकरण क्रमांक <u>श. नि. 12.5, 13.5 का नकाशा हलिया</u> में पारित आदेश दिनांक <u>x</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>अलेक. सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>5.3.19</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
सदस्य

..... न्याय व प्रक्रिया के विपरीत एवं विक्रय दस्तावेजों के विषय-  
वने से निरस्त किये जाने योग्य है।